बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

वुधवार, तिथि ८ अप्रील, १९६४।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वुधवार, तिथि ८ अप्रील, १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

बी० डी० ओ० पर आरोप।

८०। श्री शकूर अहमद—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री मंगल प्रसाद यादव, सदस्य, बिहार विधान-सभा ब्लौक समिति की बैठक में भाग लेने दिनांक ७ फरवरी १९६४ को मधुबन से प्रखंड जीप में ग्राम कजरह गये थे ;

(२) क्या यह सही है कि प्रखंड समिति की उक्त बैठक में भाग लेने के बाद उन्हें दम्मा का दौरा आ गया था और उनके द्वारा निकटस्थ रेलवे स्टेशन चकिया तक जीप से पहुंचवा देने के लिये अनुरोध किये जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इनकार कर दिया ;

(३) क्या यह सही है कि इसके बाद वे कुछ दूर तक एस० डी० ओ०, एग्रीकल्चर के साथ उनकी जीप में आये और वहां से बैलगाड़ी करके चकिया स्टेशन पहुंचे ;

(४) क्या यह सही है कि श्री यादव ने इन बातों की सूचना फरवरी के दूसरे सप्ताह में मुख्य मंत्री को दी है, परन्तु अबतक उन्हें कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ;

(५) क्या यह सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन के उक्त व्यवहार के कारण श्री यादव की बीमारी बढ़ गई थी और चिकित्सा में उन्हें परेशानी और खर्च हुई ; यदि हां, तो सरकार उक्त बी० डी० ओ० पर कौन-सी उचित कारवाई करना चाहती है और कब-तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री शिव शंकर सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) से (५) श्री मंगल प्रसाद यादव, सदस्य, विधान-सभा ने माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए अपने दिनांक १२ फरवरी १९६४ के पत्र में इस प्रकार का आरोप लगाया है। आरोप के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन सरकार को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।

सड़क का पक्कीकरण।

२४१६। श्री कुलदीप महतो—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ग्राम एद (जो गया-नवादा रोड पर गया से १४ मील पूर्व स्थित है) से ग्राम बढ़ही-बीघा (जो केनार फतेहपुर का टोला है तथा वजीरगंज-फतेहपुर सड़क पर स्थित है) तक ७ मील की कच्ची सड़क गयी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का अंश ग्राम एद से ग्राम विशुनपुर तक जिला पर्षद् द्वारा अंगीकृत है तथा इसके बाद कच्ची सड़क का निर्माण पुलों एवं कलभर्टों सहित ग्राम बढ़ही-बीघा तक हो गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त कच्ची सड़क गया-नवादा रोड तथा वजीरगंज-फतेहपुर रोड को जोड़ती है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण का विचार रखती है ; यदि हां, तो कबतक ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुशील कुमार बागे—(१) ऐसी एक सड़क है जिसका तीन मील जिला पर्षद् के अन्तर्गत है।

(२) प्रथम भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है। विशुनपुर से बढ़ही-बीघा तक सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी जिला पर्षद् को नहीं है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) अर्थाभाव के कारण सड़क का पक्कीकरण अभी संभव नहीं है।

नदियों पर पुल।

२४१७। श्री काली प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत जामतारा सबडिवीजन में जामतारा से नारायणपुर होकर गिरीडीह कच्ची सड़क गयी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि जामतारा से गिरीडीह सड़क में बासपहाड़ी गांव में बांसजोड़िया नदी और लौहरांगी गांव में राजाईया नदी पड़ती है ;

(३) क्या यह बात सही है कि जामतारा से गिरीडीह कच्ची सड़क पर जो पब्लिक बस सर्विस चलती है, वह बरसात के महीने में उक्त नदियों में पुल या कौजवे नहीं रहने के कारण बन्द हो जाती है जिससे नारायणपुर थाटी इलाके के आदमियों को जामतारा आवागमन में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है ;